रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072026-274141
CG-DL-E-04072026-274141

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 190] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 30, 2026/ आषाढ 9, 1948
No. 190] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 30, 2026/ ASHADHA 9, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2026

SETU case ID- AD/OI/020/2026

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "किसी भी रूप में 6x4 और 4x2 एक्सल कॉन्फ़िगरेशन वाले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

1. फा. सं. **6/20/2026-डीजीटीआर.**— समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मैसर्स आईपीएलटेक इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" भी कहा गया है) ने चीन जन.गण. (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "किसी भी रूप में 6x4 और 4x2 एक्सल कॉन्फ़िगरेशन वाले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर" (जिसे इसके बाद "संबद्ध सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी

जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन-पत्र दायर किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

3. वर्तमान आवेदन-पत्र में विचाराधीन उत्पाद “किसी भी रूप में 6x4 और 4x2 एक्सल कॉन्फ़िगरेशन वाले इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर” है। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में पीयूसी के सभी रूपों में आयात शामिल हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, पूर्णतः निर्मित इकाइयां (सीबीयू), पूर्णतः नॉक्ड डाउन इकाइयां (सीकेडी) और सेमी नॉक्ड डाउन इकाइयां (एसकेडी) शामिल हैं। तथापि, स्वतंत्र आधार पर आयातित पीयूसी के भाग विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल नहीं हैं।

4. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग लॉजिस्टिक्स और माल परिवहन कार्यों में किया जाता है। ये वाहन औद्योगिक, वाणिज्यिक और वितरण प्रयोजनों के लिए सीमेंट, स्टील, फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी), पैक किए गए सामान, निर्माण सामग्री और संबद्ध कार्गो सहित वस्तुओं और सामग्रियों के विधिसम्मत परिवहन के लिए डिज़ाइन और नियोजित किए जाते हैं।

5. विचाराधीन उत्पाद का संचालन मुख्यतः फ्लीट ऑपरेटरों, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं, निर्माताओं, वितरकों अथवा उनके अधिकृत ठेकेदारों द्वारा विनिर्माण सुविधाओं, गोदामों, वितरण केंद्रों, बंदरगाहों, टर्मिनलों और ग्राहक डिलीवरी स्थानों के बीच वस्तुओं के बिंदु-से-बिंदु परिवहन के लिए, लागू मोटर वाहन कानूनों, परिवहन विनियमों और सुरक्षा मानकों के अनुसार किया जाता है।

6. विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अनुभाग XVII और अध्याय 87 के अंतर्गत वर्गीकृत है। क्षति जांच अवधि और जांच अवधि के दौरान पीयूसी का भारत में आयात एचएस कोड 87012400 और 87049012 के अंतर्गत किया गया है। तथापि, उत्पाद अन्य प्रशुल्क शीर्षों के अंतर्गत भी आयात किया जा सकता है और इसलिए सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

7. आवेदक ने निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति का प्रस्ताव किया है:

क्रम सं.	मापदंड	मान	पीसीएन
1.	एक्सल कॉन्फ़िगरेशन	6x4	A
1.	एक्सल कॉन्फ़िगरेशन	4x2	B
2.	पावर ट्रांसमिशन	ई-एक्सल	P
2.	पावर ट्रांसमिशन	गियर बॉक्स	Q

3.	बैटरी क्षमता	282 V	1
3.	बैटरी क्षमता	302 V	2
3.	बैटरी क्षमता	376 V	3

उदाहरणात्मक कोड:

एपी-1: यह 6x4 एक्सल विन्यास, ई-एक्सल आधारित शक्ति-संचरण तथा 282 वोल्ट की बैटरी क्षमता को दर्शाता है।

बीक्यू-3: यह 4x2 एक्सल विन्यास, गियर बॉक्स आधारित शक्ति-संचरण तथा 376 वोल्ट की बैटरी क्षमता को दर्शाता है।

8. वर्तमान जांच के पक्षकार जांच शुरू करने की सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और प्रस्तावित पीसीएन पद्धति के संबंध में अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं।

ख. समान वस्तु

9. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के साथ भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण सहित सभी दृष्टियों से तुलनीय हैं। दोनों उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ता उनका परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग करते हैं। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ, आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान को संबद्ध देश से आयातित संबद्ध सामान की "समान वस्तु" माना गया है।

ग. संबद्ध देश

10. वर्तमान जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन.गण. है।

घ. जांच की अवधि (पीओआई)

11. आवेदक ने 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 (12 माह) को जांच की अवधि के रूप में प्रस्तावित किया है। प्राधिकारी ने इसे ही जांच की अवधि माना है। क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 और जांच की अवधि शामिल होगी।

ङ. घरेलू उद्योग और आधार

12. यह आवेदन-पत्र मैसर्स आईपीएलटेक इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है और वह संबद्ध देश के संबद्ध सामानों के किसी उत्पादक अथवा निर्यातक या भारत में किसी आयातक से संबंधित नहीं है। आवेदक ने अनुरोध किया है कि वह भारत में संबद्ध सामानों का प्रमुख घरेलू उत्पादक है। अभिलेख पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, आवेदक जांच अवधि के दौरान भारत में समान वस्तु के कुल उत्पादन के प्रमुख अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है।

13. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक प्रथम दृष्टया पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग की पात्रता को पूरा करता है और घरेलू उद्योग है तथा आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

च. तथाकथित पाटन का आधार

क. चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

14. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुलग्नक-I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदक ने चीन के अभिगमन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का हवाला दिया है और यह उल्लेख किया है कि चीनी उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में संबद्ध सामानों का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। जब तक चीनी उत्पादक यह प्रदर्शित नहीं करते कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, उनका सामान्य मूल्य नियमावली के अनुलग्नक-I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

15. आवेदक ने अनुरोध किया है कि मूल्य सूचियों, वाणिज्यिक अथवा विक्रय चालानों, व्यापार पत्रिकाओं तथा अन्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मूल्य सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के प्रयास किए गए थे। तथापि, चीन जन.गण. अथवा किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमतों अथवा लागत के संबंध में विश्वसनीय सूचना प्राप्त नहीं हो सकी। आवेदक ने आगे यह भी अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए कोई पृथक एचएस कोड उपलब्ध नहीं है और इसका आयात एवं निर्यात विभिन्न एचएस कोडों के अंतर्गत किया जाता है, जिनके अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद से इतर उत्पाद भी आते हैं। इसलिए ऐसे एचएस कोडों के अंतर्गत कीमतें सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विश्वसनीय आधार प्रदान नहीं करेंगी। अतः आवेदक ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा उचित लाभ सहित घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है।

ख. निर्यात कीमत

16. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत डीजी सिस्टम्स आंकड़ों में रिपोर्ट की गई विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत पर विचार करके निर्धारित की गई है। समुद्री मालभाड़ा, अंतर्देशीय मालभाड़ा, बीमा, निकासी शुल्क, बंदरगाह शुल्क, डीलर कमीशन, बैंक शुल्क और ऋण लागत के निमित्त समायोजन किए गए हैं।

ग. पाटन मार्जिन

17. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखानागत स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से अधिक है और संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पर्याप्त है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संपर्क

18. आवेदक ने पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान किए हैं। संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की मात्रा पिछले वर्ष की तुलना में जांच अवधि में निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों रूपों में बढ़ी है।

आयातों के कारण कीमत न्यूनीकरण और कीमत ह्रास के साक्ष्य उपलब्ध हैं। संबद्ध आयातों का घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

19. उपर्युक्त से, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति तथा कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान हैं, जो नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत पाटनरोधी जांच प्रारंभ किए जाने को उचित ठहराते हैं, ताकि कथित पाटन के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके, जो यदि अधिरोपित की जाए, तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

20. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन-पत्र के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, विचाराधीन उत्पाद के तथाकथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति तथा ऐसी क्षति और पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संपर्क के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संतुष्ट होने पर, तथा अधिनियम की धारा 9क और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित प्रावधानों के अनुसार, प्राधिकारी एतद्द्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कथित पाटन के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उपयुक्त राशि की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं, जो यदि लगाई जाए, तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

झ. प्रक्रिया

21. वर्तमान जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

22. इस जांच के लिए सभी सूचना, प्रश्नावलियां और प्रस्तुतियां इस अधिसूचना में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से दायर की जानी चाहिए। प्राधिकारी ईमेल या किसी अन्य माध्यम से भेजी गई प्रस्तुतियों पर विचार नहीं कर सकते हैं।

23. जांच में भाग लेने के लिए, सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (https://setudgtr.gov.in) पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। यदि किसी हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण कराने में कोई कठिनाई हो, तो https://setu.dgtr.gov.in/help-desk पर उपलब्ध विवरणों के माध्यम से डीजीटीआर के सेतु हेल्पडेस्क से संपर्क किया जा सकता है। हितबद्ध पक्षकारों की सभी संप्रेषण और प्रस्तुतियां उनके पंजीकृत नाम तथा संबंधित सेतु आईडी AD/OI/020/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल के माध्यम से दायर की जानी चाहिए। हितबद्ध पक्षकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तुतियों का कथात्मक भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस वर्ड प्रारूप में हो, जबकि आंकड़ा फाइलें समुचित रूप से संबद्ध गणनाओं के साथ एमएस एक्सेल प्रारूप में प्रस्तुत की जाएं।

24. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उसके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, तथा भारत में विचाराधीन उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों और उपयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से सभी संगत सूचना दायर कर सकें। ऐसी सभी सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में निर्धारित रूप और तरीके से दायर की जानी चाहिए।

25. जांच में रुचि रखने वाले पक्षकारों को वर्तमान जांच में अपनी रुचि, जिसमें हित की प्रकृति भी शामिल है, से अवगत कराने तथा इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं/प्रस्तुतियां दायर करने की सलाह दी जाती है।

26. कोई भी हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से वर्तमान जांच से संबंधित प्रस्तुतियां कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति करने वाले किसी भी पक्षकार को उसी का एक अगोपनीय संस्करण भी साथ-साथ दायर करना आवश्यक है। अगोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना चाहिए।

27. हितबद्ध पक्षकारों को इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in/) और सेतु पोर्टल (https://setu.dgtr.gov.in) नियमित रूप से देखने का निर्देश दिया जाता है। हितबद्ध पक्षकारों को प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, प्रकटन, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाएं, अंतिम निष्कर्ष और ऐसी अन्य सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं से अवगत रहने का भी निर्देश दिया जाता है।

ट. समय सीमा

28. गोपनीय संस्करण (सीवी) और अगोपनीय संस्करण (एनसीवी) को उस तिथि से 37 दिनों के भीतर सेतु पोर्टल के संबंधित निर्दिष्ट अनुभागों में अपलोड किया जाना चाहिए, जिस तिथि को घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन-पत्र के अगोपनीय संस्करण को प्राधिकारी द्वारा परिपत्रित किया जाएगा अथवा नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है, तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकते हैं।

29. वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण कराने का इच्छुक कोई भी पक्षकार सेतु पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करेगा और अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रिया तथा प्रस्तुतियां इस जांच शुरूआत अधिसूचना में ऊपर उल्लिखित समय-सीमा के भीतर ही दायर करेगा।

30. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र/पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियां दायर करने की 15-दिवसीय अवधि इस जांच शुरूआत अधिसूचना में ऊपर उल्लिखित समय-सीमा के साथ-साथ चलेगी।

31. विचाराधीन उत्पाद/पीसीएन में संशोधन के कारण समय का विस्तार: यदि प्राधिकारी, किसी पश्चातवर्ती सूचना के माध्यम से, विचाराधीन उत्पाद अथवा पीसीएन पद्धति में ऐसा संशोधन करते हैं, जो पूर्व में प्रस्तावित नहीं था अथवा जांच शुरूआत अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का समय-विस्तार दिया जाएगा। यह विस्तार संशोधित विचाराधीन उत्पाद की अधिसूचना और पीसीएन के निर्धारण की तिथि से उपलब्ध होगा। यह विस्तार ऐसे मामलों में लागू नहीं होगा जहां जांच शुरू होने के बाद विचाराधीन उत्पाद अथवा पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर, 15 दिनों से अधिक समय-विस्तार के अनुरोधों पर, यदि विस्तार दिया गया हो, सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।

32. समय-विस्तार के लिए कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकार द्वारा मूल समय-सीमा से कम से कम तीन दिन पूर्व सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के पश्चात प्रस्तुत किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

33. जहां वर्तमान जांच में कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर प्रस्तुति करता है अथवा सूचना देता है, वहां उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7(2) तथा इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय संस्करण साथ-साथ प्रस्तुत करना होगा।

34. ऐसी प्रस्तुतियां प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए। जिन प्रस्तुतियों पर इस प्रकार का अंकन नहीं होगा, उन्हें प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय सूचना माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

35. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः अनुक्रमित अथवा, जहां अनुक्रमण संभव न हो, रिक्त किया गया हो। ऐसी सूचना का, जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है, उचित और पर्याप्त सारांश प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

36. गोपनीय संस्करण में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वभावतः गोपनीय है और/या ऐसी अन्य सूचना शामिल होगी जिसे सूचना प्रदाता गोपनीय होने का दावा करता है। जिस सूचना को स्वभावतः अथवा अन्य कारणों से गोपनीय बताया जाता है, उसके संबंध में सूचना प्रदाता को दी गई सूचना के साथ उचित कारण विवरण भी प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।

37. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच के पश्चात गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी संतुष्ट होते हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत अथवा सार रूप में उसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

38. अगोपनीय सारांश में गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषयवस्तु को उचित रूप से समझने के लिए पर्याप्त विवरण होना चाहिए। तथापि, अपवादात्मक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना संभव नहीं है और उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के संदर्भ में पर्याप्त एवं युक्तिसंगत कारणों सहित विवरण प्रस्तुत करना होगा।

39. हितबद्ध पक्षकार घरेलू उद्योग द्वारा किए गए गोपनीयता संबंधी दावों पर आवेदन-पत्र के अगोपनीय संस्करण की प्राप्ति की तिथि से सात दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

40. गोपनीयता के दावे के संबंध में पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुरूप, सार्थक अगोपनीय संस्करण अथवा पर्याप्त एवं समुचित कारण विवरण के बिना की गई किसी भी प्रस्तुति को प्राधिकारी द्वारा अभिलेख पर नहीं लिया जाएगा।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

41. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा की गई प्रस्तुतियों के सभी अगोपनीय संस्करण सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिए सुलभ होंगे।

ढ. असहयोग

42. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार इस जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय अथवा युक्तियुक्त अवधि के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इंकार करता है अथवा अन्यथा आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, या जांच में महत्वपूर्ण बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज करते हुए केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जिन्हें वे उपयुक्त समझें।

अमिताभ कुमार ,निर्दिष्ट प्राधिकरण

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2026

SETU Case ID- AD/OI/020/2026

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of "Electric Tractors in 6x4 and 4x2 axle configuration in any form" originating in or exported from China PR.

1. **F. No. 6/20/2026-DGTR:-** Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the "Rules" or the "Anti-dumping Rules"), M/s. IPLTech Electric Private Limited (hereinafter also referred to as the "Applicant") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of "Electric Tractors in 6x4 and 4x2 axle configuration in any form" (hereinafter referred to as the "subject goods" or "product under consideration" or "PUC"), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the "subject country").

2. The Applicant has alleged that dumped imports of the subject goods from the subject country are causing material injury to the domestic industry and has requested the imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods from the subject country.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION (PUC)

3. The product under consideration in the present application is "Electric Tractors in 6x4 and 4x2 axle configuration in any form". The scope of the product under consideration covers imports of the PUC in all forms, including, inter alia, completely built-up units (CBUs), completely knocked down units (CKDs) and semi-knocked down units (SKDs). However, the scope of the PUC does not cover parts of the PUC imported on a standalone basis.

4. The PUC is intended for use in logistics and goods transportation operations. These vehicles are designed and deployed for lawful carriage of goods and materials for industrial, commercial and distribution purposes, including transportation of cement, steel, fast-moving consumer goods (FMCG), packaged commodities, construction materials and allied cargo.

5. The PUC is primarily operated by fleet operators, logistics service providers, manufacturers, distributors or their authorised contractors for point-to-point movement of goods between manufacturing facilities, warehouses, distribution centres, ports, terminals and customer delivery locations, in accordance with applicable motor vehicle laws, transport regulations and safety standards.

6. The product under consideration is classified under Section XVII and Chapter 87 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. During the injury investigation period and the POI, the PUC has been imported into India under HS Codes 87012400 and 87049012. However, the product may also be imported under other tariff headings and, therefore, the customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.

7. The Applicant has proposed the following product control number (PCN) methodology:

Sl. No.	Parameters	Value	PCN
1.	Axle Configuration	6x4	A
		4x2	B
2.	Power Transmission	E-axle	P
		Gear Box	Q
3.	Battery Capacity	282 V	1
		302V	2
		376 V	3

Specimen Code:

AP1: It shows the axle configuration of 6x4 along with power transmission based on E-axle and battery capacity of 282 V.

BQ3: It shows the axle configuration of 4x2 along with power transmission of gear box and battery capacity of 376 V.

8. The parties to the present investigation may provide their comments on the scope of the PUC and the proposed PCN methodology within 15 days of receipt of intimation of initiation of the investigation.

B. LIKE ARTICLE

9. There is no known difference between the subject goods produced by the domestic industry and the product under consideration imported from the subject country. The subject goods produced by the domestic industry are comparable to the product under consideration imported from the subject country in all terms, including physical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification. Both products are technically and commercially substitutable and the consumers use them interchangeably. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the Applicant are being treated as “like article” to the subject goods imported from the subject country.

C. SUBJECT COUNTRY

10. The subject country in the present investigation is China PR.

D. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

11. The Applicant has proposed 1st January 2025 to 31st December 2025 (12 months) as the period of investigation. The Authority has considered the same as the POI. The injury investigation period shall cover the periods 1st April 2023 – 31st March 2024, 1st April 2024 – 31st March 2025 and the POI.

E. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

12. The application has been filed by M/s. IPLTech Electric Private Limited. The Applicant has submitted that it has not imported the subject goods from the subject country and is not related to any producer or exporter of the subject goods from the subject country or any importer in India. The Applicant has submitted that it is the major domestic producer of the subject goods in India. As per the data available on record, the Applicant accounts for a major proportion of the total Indian production of the like article during the period of investigation.

13. The Authority notes that the Applicant satisfies the standing requirement and constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules, 1995 and the application satisfies the requirements of Rule 5(3) of the Rules.

F. BASIS OF ALLEGED DUMPING

a.Normal Value for China PR

14. The Applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of Paragraph 7 of Annexure I to the Rules. The Applicant has cited Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol and has submitted that the Chinese producers should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods with regard to production and sale of the product under consideration. Unless the Chinese producers demonstrate that market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Paragraph 7 and 8 of Annexure I to the Rules.

15. The Applicant has submitted that efforts were made to determine normal value on the basis of price lists, commercial or sales invoices, trade journals and other publicly available price information. However, reliable information regarding prices or cost in China PR or a market economy third country could not be obtained. The Applicant has further submitted that the product under consideration does not have a dedicated HS code and is imported and exported under various HS codes, which also cover products other than the product under consideration. Therefore, prices under such HS codes would not provide a reliable basis for determination of normal value. The Applicant has, accordingly, claimed normal value on the basis of cost of production of the domestic industry, along with selling, general and administrative expenses and reasonable profit. There is enough evidence for the normal value claimed by the applicant.

b. Export Price

16. The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of the product under consideration as reported in DG Systems data. Adjustments have been made for ocean freight, inland freight, insurance, clearing charges, port charges, dealer's commission, bank charges and credit cost.

c. Dumping Margin

17. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which prima facie shows that the dumping margin is above the de minimis level and is significant with respect to the product under consideration exported from the subject country. Thus, there is prima facie evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in the Indian market by exporters from the subject country.

G. INJURY AND CAUSAL LINK

18. The Applicant has provided prima facie evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry due to the dumped imports. The volume of subject imports from the subject country has increased in both absolute as well as relative terms over the injury period. There is evidence of price suppression due to subject imports. The subject imports have had an adverse impact on the operating performance of the domestic industry.

19. From the foregoing, the Authority prima facie finds sufficient evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree, and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove injury to the domestic industry.

H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

20. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the Applicant and having reached satisfaction based on the prima facie evidence submitted by the Applicant concerning dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the product under consideration and the causal link between such injury and dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority hereby initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree and effect of alleged dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. PROCEDURE

21. The provisions stipulated in Rule 6 of the Anti-dumping Rules shall be followed in this investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

22. All information, questionnaires and submissions for this investigation must be filed through the SETU Portal only within the deadlines specified in this notification. The Authority may not consider submissions sent through email or any other mode.

23. In order to participate in the investigation, all interested parties are required to register themselves on the SETU Portal (https://setudgtr.gov.in). In case of any difficulty in registering as an interested party, the DGTR SETU Helpdesk may be contacted through the details provided at https://setu.dgtr.gov.in/help-desk. All communications and submissions from the interested parties must be filed through the SETU Portal under their registered name and the corresponding SETU ID AD/OI/020/2026. Interested parties are required to ensure that the narrative part of their submissions is filed in searchable PDF/MS Word format, while data files must be submitted in MS Excel format with properly linked calculations.

24. The known producers/exporters in the subject country, the Government of the subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India known to be concerned with the subject goods are being informed separately to enable them to file all relevant information in the form and manner prescribed within the time limits set out below. All such information must be filed in the form and manner prescribed by this initiation notification, the Rules and the applicable trade notices issued by the Authority.

25. Parties interested in the investigation are hereby advised to intimate their interest, including the nature of interest, in the present investigation and file their questionnaire responses/submissions within the time limits mentioned in this initiation notification.

26. Any interested party may make submissions relevant to the present investigation in the form and manner prescribed within the time limits specified in this notification. Any party making any confidential submission before the Authority is required to simultaneously file a non-confidential version of the same. The non-confidential version should be a replica of the confidential version.

27. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (https://www.dgtr.gov.in/) and the SETU Portal (https://setu.dgtr.gov.in) for updated information with respect to this investigation. Interested parties are also directed to remain informed regarding notices that may be issued from time to time concerning questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussions/meeting schedule, notice for oral hearing, disclosure, corrigendum, amendment notifications, final findings and other such information.

K. TIME LIMIT

28. The confidential version (CV) and non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated sections of the SETU Portal within 37 days from the date on which the non-confidential version of the application filed by the domestic industry is circulated by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the Rules, 1995. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of facts available on record in accordance with the Rules.

29. Any party wishing to register as an interested party in the present investigation must register through the SETU Portal and file its questionnaire response and submissions strictly within the time limits mentioned above in this initiation notification.

30. The 15-day period to file comments on the scope of the PUC/PCN methodology shall run concurrently with the time limit mentioned above in this initiation notification.

31. Extension due to modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC or PCN methodology in a manner not previously proposed or different from the initiation notification. This extension shall be available from the date of notification of the modified PUC and prescription of PCN. The extension is not applicable where there is no change in the PUC or PCN methodology after initiation of the investigation. Requests for further extension beyond 15 days, if granted, will ordinarily not be considered except in exceptional circumstances, in line with Rule 6(4) of the Anti-dumping Rules.

32. Any request for extension must be submitted by the concerned party through the SETU Portal at least three days before the original deadline. Requests submitted after this time will not be considered.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

33. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, it is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Anti-dumping Rules, 1995 and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.

34. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made to the Authority without such markings shall be treated as non-confidential information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

35. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should essentially be a replica of the confidential version, with the confidential information preferably indexed or blanked out where indexation is not possible. Such information must be appropriately and adequately summarised depending upon the information on which confidentiality is claimed.

36. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information claimed to be confidential by nature or for any other reason, the supplier is required to provide a good cause statement along with the supplied information explaining why such information cannot be disclosed.

37. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is unwilling to make the information public or authorise disclosure in generalised or summary form, the Authority may disregard such information.

38. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary and must provide a statement of reasons containing sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Anti-dumping Rules, 1995 and the appropriate trade notices issued by the Authority.

39. The interested parties may offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within seven days of receipt of the non-confidential version of the application.

40. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Anti-dumping Rules, 1995 and the appropriate trade notices issued by the Authority shall not be taken on record by the Authority.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

41. All non-confidential versions of the submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU Portal.

N. NON-COOPERATION

42. In case any interested party refuses access to, or otherwise does not provide, necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such party as non-cooperative and record its findings on the basis of facts available on record and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA